

अपनाए हैं, जिनमें निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

(1) भूमिहीन अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों में बांटने के लिए 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत का आरक्षण ;

(2) अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों को नियतन में प्राथमिकता ।

दक्षिण दिल्ली में नृत्य प्रशिक्षण स्कूल

2722. श्री ब्रह्मानन्दजी : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ समय से साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में एक नृत्य प्रशिक्षण स्कूल में वेश्यावृत्ति हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में पुलिस ने वहां एक छापा मारा था और वहां से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ;

(ग) क्या इस प्रकार से चलाये जा रहे नाच और गाने के अन्य प्रशिक्षण स्कूलों की जांच कराने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) साउथ एक्सटेंशन, भाग 1 में एक स्कूल के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं। संदिग्ध अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है ।

(ख) हां ।

(ग) तथा (घ) : पुलिस को सतर्क रहने के लिए तथा जब और जैसे आवश्यक हो कार्रवाई करने के लिए चौकस कर दिया गया है ।

CHANGES IN DELHI MASTER PLAN

2723. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a meeting of the officials of Delhi Administration, representatives of Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipal Committee and Town Planning Organisation was recently called by him to discuss land policy in Delhi; and

(b) if so, the matters discussed and decisions taken thereat :

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No

(b) Does not arise.

KRISHNA-GODAVARI WATER DISPUTE TRIBUNAL

2724. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal for the appointment of a tribunal for the sharing of water from Krishna and Godavari from Maharashtra and Mysore States; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). Maharashtra and Mysore Governments have proposed that if the question of allocation of Krishna and Godavari waters is not settled at an early date then the matter should be referred to a Tribunal under the Inter-State Water Disputes Act, 1966. Government feel that further efforts should be made to resolve this dispute by mutual discussions and negotiations and the question of appointment of a tribunal should be considered later in the light of these discussions.

TAWA PROJECT

2725. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: SHRI NATHU RAM AHIRWAR: SHRI LAKHAN LAL GUPTA:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given

to Unstarred Question No. 3397 on the 7th December, 1967 and state:

(a) whether a decision for giving cent per cent earmarked assistance for Tawa Project has since been taken;

(b) if so, the amount which is likely to be given during 1968-69; and

(c) if not, when a decision in the matter is likely to be taken ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) The question of giving cent per cent earmarked assistance for the Tawa Project is still under examination. This is linked with the question of approval of the revised Project report and estimates, which is yet to be received from the State Government, and the provision in the Plan for its execution.

संसद भवन की डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक औषधियाँ

2726. श्री ब्रह्मानन्द जी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार संसद भवन की डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक औषधियों की भी व्यवस्था करने है; और

(ख) यदि हां तो कब तक ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). संसद भवन स्थित डिस्पेंसरी प्राथमिक चिकित्सा चौकी की ही भाँति है नियमित डिस्पेंसरी नहीं। उसमें आयुर्वेदिक औषधियों की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का विकास

2727. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए सरकार द्वारा

क्या योजनायें बनाई गई हैं तथा उनके लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा कालेजों में से कितने कालेजों में केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा दी जाती है और कितने चिकित्सा कालेजों में मिली-जुली चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा दी जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कालेजों की जिनमें केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा दी जाए, संख्या बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या LT 329/68]।

(ख) (i) उन कालेजों की संख्या जहाँ केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की ही शिक्षा दी जाती है—58

(ii) उन कालेजों की संख्या जहाँ मिश्रित (समवर्ती) चिकित्सा पद्धति की शिक्षा दी जाती है—43

(ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा ऐसे अधिक कालेजों की स्थापना करना जिन में केवल आयुर्वेदिक पद्धति की शिक्षा दी जाए, राज्य सरकारों का ही काम है।

माधव अन्ध आश्रम

2728. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य की अन्धे व्यक्तियों की संस्था, माधव अन्ध आश्रम, को केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष कितनी सहायता देती है; और

(ख) मध्य प्रदेश में इन्दौर और ग्वालियर में अन्धे व्यक्तियों के लिए औद्योगिक वर्कशाप स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?